**न्यायालय– अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, न्यायालय सं०–03, बदायूँ।**

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं० – 836/2022

नन्ही बनाम नीका उर्फ नीकू आदि

अंतर्गत धारा– 156 (3) दं.प्र.सं.

थाना– हजरतपुर, बदायूँ।

---

दिनांक– 05–11–2022

पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०सं० पर आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व की तिथि पर प्रार्थिनी के अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिनी सरस्वती का कथन है कि प्रार्थिनी नन्ही पत्नी संजू निवासी ग्राम कैमी, थाना हजरतपुर, जिला बदायूँ की रहने वाली हूँ। दिनांक– 17–09–2022 को समय करीब 03:30 बजे शाम मेरी नाबालिग पुत्री शीतल (उम्र करीब 15 वर्ष) घर में अकेली थी, कि मौका पाकर मेरे पड़ौसी नीका उर्फ नीकू पुत्र सत्यपाल एवं मोहित पुत्र बब्लू मेरे घर में घुस आये तथा मेरी नाबालिग पुत्री शीतल को बुरी नीयत से पकड़ लिया तथा दोनों छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने लगे। लड़की के विरोध करने पर उसे मारा–पीटा। चीख पुकार सुनकर मैं उसे बचाने आयी, तो दोनों ने मुझे भी मारा पीटा। हम लोगों की चीख–पुकार पर गांव के काफी लोग आ गये तथा घर के सामने जा रहे सूरजपाल पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम चंगासी, थाना हजरतपुर बदायूँ ने सारी घटना देखी। उक्त मार–पीट में मेरे खुली व गुम चोटें आयी थीं तथा मेरे पुत्री शीतल के गुम चोटें आयी थीं, जिससे पुलिस ने मुझे डाक्टरी मुआयना हेतु चिट्ठी दे दी तथा मेरी पुत्री शीतल के गुम चोटें होने के कारण उसकी डाक्टरी नहीं करायी। थाने उक्त घटना की रिपोर्ट दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूँ को स्वयं उपस्थित होकर व पंजीकृत डाक से प्रार्थना–पत्र प्रेषित किये, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थिनी द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र, लीविंग सर्टीफिकेट की छायाप्रति, पीड़िता के अंकपत्र सर्टिफिकेट की छायाप्रति, जन सुनवाई पोर्टल की प्रति, एस.एस.पी. बदायूँ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति एवं रजि० रसीद दाखिल की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना–पत्र के संबंध में संबंधित थाना से आख्या तलब की गई।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती नन्ही उपरोक्त द्वारा धारा– 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये गये प्रार्थना–पत्र की जांच मुझ एस.आई. द्वारा की गयी। मौके पर जाकर आस पड़ौस के लोग महीपाल, धर्मवीर, नरवीर आदि से जानकारी की गयी तो पाया कि दिनांक– 17–09–2022 को आवेदिका की चचिया सास भगवान देवी का धेवता मोहित उम्र 8 वर्ष अपनी बकरिया चराकर जा रहा था, बकरिया आवेदिका की लौकी की बेल को खाने पर आवेदिका व विपक्षीगण के मारपीट हो गयी। विपक्षी नीका उर्फ नीकू गांव में नहीं था। आवेदिका द्वारा घटनाक्रम बढ़ाचढ़ाकर विपक्षी पर दवाब बनाने के उद्देश्य से बताया गया है। उक्त आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा०पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रार्थिनी महिला है। विपक्षी नीका उर्फ नीकू व मोहित द्वारा प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री शीतल उम्र 15 वर्ष को जबरन बुरी नीयत से पकड़कर अश्लील हरकत करने तथा विरोध करने पर मारपीट करने एवं गाली गलौज करने का मामला बताया गया है। नाबालिग की उम्र के संबंध में उसकी प्राइमरी विद्यालय की टी.सी. की छायाप्रति दाखिल की गई है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 20–06–2007 अंकित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना–पत्र देने और कार्यवाही न होने का कथन है। उक्त प्रार्थना पत्र एवं रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल

की गई है। प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित कथनों से प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री के साथ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है, जिसकी सत्यता की जॉच विवेचना से ही सामने आ सकती है। अतः थाना पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी हजरतपुर को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करते हुए नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डा० मोहम्मद इलियास)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो एक्ट) न्यायालय सं0–03, बदायूँ।

Digitally signed by DR MOHAMMAD ILIYAS
Date: 2022.11.05 17:02:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court